फा. सं. एवी-20036/05/97-वीबी खंड II
भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

'बी' ब्लॉक, राजीव गांधी भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 19 फरवरी, 2008

**विषय: केरल के कण्णूर में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का निर्माण।**

1. अधोहस्ताक्षरी को यह उल्लेख करने का निदेश हुआ है कि केरल सरकार (जीओके) द्वारा कण्णूर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है तथा भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एतद्द्वारा **"सैद्धांतिक" अनुमोदन** प्रदान किया जाता है:-

**(क) आरक्षित गतिविधियाँ:** हवाईअड्डे पर सुरक्षा, वायु यातायात नियंत्रण, सीमा शुल्क, आप्रवासन, मौसम विज्ञान (एमईटी) आदि जैसी कुछ गतिविधियाँ भारत सरकार के लिए आरक्षित होंगी। इनका निष्पादन संबंधित केंद्रीय सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इन सेवाओं का प्रावधान, लागत प्रतिपूर्ति के आधार पर होगा तथा हवाईअड्डा प्रचालक संबंधित एजेंसियों के साथ समझौते में प्रवेश करेगा। आरक्षित गतिविधियों से संबंधित लागत की वसूली लागत प्रतिपूर्ति तंत्र के माध्यम से की जाएगी तथा यह राजस्व व्यय का भाग होगी और इस प्रकार इसे पूंजीकृत नहीं किया जाएगा।

**(ख) रियायत (Concession) समझौता:** भारत सरकार/केरल सरकार उस संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) के साथ कोई रियायत समझौता हस्ताक्षरित नहीं करेगी जिसे हवाईअड्डे के विकास एवं अनुरक्षण का कार्य सौंपा जाएगा। संयुक्त उद्यम कंपनी नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी अनुज्ञप्ति के अंतर्गत हवाईअड्डे का विकास एवं प्रचालन करेगी। केरल सरकार हवाईअड्डा कंपनी को पट्टे/अनुज्ञप्ति पर दी जाने वाली भूमि के संबंध में उसकी शर्तों एवं नियमों का उल्लेख करते हुए तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी पर लगाए जाने वाले अन्य उपयुक्त प्रावधानों सहित कुछ लाभ एवं रियायतें प्रदान कर सकती है। केरल सरकार संयुक्त उद्यम कंपनी को अन्य वित्तीय रियायतें प्रदान करने पर भी विचार कर सकती है।

**(ग) पर्यावरणीय क्लियरेंस:** पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से, इस परियोजना को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात केरल सरकार पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अनुसार आवश्यक जानकारी सहित विस्तृत प्रस्ताव विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

**(घ) निजी इकाई का चयन:** केरल सरकार को रणनीतिक निजी भागीदार के चयन हेतु एक पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया अपनानी चाहिए। भारत सरकार ने पीपीपी परियोजनाओं के लिए एक मॉडल आरएफक्यू एवं आरएफपी जारी की है तथा केरल सरकार बोली प्रक्रिया संचालित करने के लिए इन दस्तावेजों को अपनाने पर विचार कर सकती है।

**(ङ) रक्षा विभाग हेतु भूमि:** भविष्य के नौसैनिक वायु एन्क्लेव के विकास हेतु भारतीय नौसेना को पारस्परिक सहमति से निर्धारित स्थान पर कम-से-कम 10 एकड़ भूमि पट्टे पर/हस्तांतरित की जाएगी।

**(च) सैन्य विमानों के लिए छूट:** प्रस्तावित हवाईअड्डे का उपयोग करने वाले सभी सैन्य विमानों को लैंडिंग एवं पार्किंग शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी।

**(छ) भारतीय वायु सेना की अवसंरचना संबंधी आवश्यकता:** संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) प्रस्तावित हवाईअड्डे के एटीसी परिसर के भीतर वायु सेना मिशन संपर्क इकाई (एएफएमएलयू), वायु सेना मिशन संपर्क प्रकोष्ठ (एएफएमएलसी) आदि की स्थापना हेतु भारतीय वायु सेना को उपयुक्त कक्ष उपलब्ध कराएगी।

**(ज) सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएँ:** संयुक्त उद्यम कंपनी को सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करना होगा। यह शर्तें निम्नानुसार हैं:-

(क) युद्ध, प्राकृतिक आपदा/विपदा, आंतरिक अशांति आदि जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में भारत सरकार द्वारा हवाई अड्डे के अस्थायी उपयोग/अधिग्रहण के लिए पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए।

(ख) संयुक्त उद्यम कंपनी को सुरक्षा उपकरणों के अधिग्रहण एवं स्थापना तथा विकासकर्ताओं सहित उनके विदेशी सहयोगियों के प्रत्यय पत्रों के सत्यापन के संबंध में गृह मंत्रालय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(ग) संयुक्त उद्यम कंपनी समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आप्रवासन सेवाओं की व्यवस्था करेगी।

(घ) हवाईअड्डे के प्रबंधन में उच्च निर्णयकारी पदों पर नियुक्ति से पूर्व विदेशी नागरिकों के पूर्ववृत्त का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(ङ) हवाईअड्डे पर निर्माण, ग्राउंड हैंडलिंग अथवा अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए नियुक्त की जाने वाली विदेशी कंपनियों के प्रत्यय पत्र का पूर्व सत्यापन किया जाना चाहिए।

(च) हवाईअड्डे के निर्माण/विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा, यदि कोई हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित सुरक्षा एजेंसियों एवं मंत्रालयों/विभागों के विचार प्राप्त करने के उपरांत अनुमोदित की जाएगी।

(छ) पायलटों, यात्रियों तथा उनके सामान की अपहरण-रोधी एवं विध्वंस-रोधी जाँच के लिए प्रत्येक निजी हवाईअड्डे पर सुरक्षा एजेंसियों को नामित किया जाएगा।

(ज) हवाईअड्डा प्राधिकरण के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) तथा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(झ) अंतरराष्ट्रीय उड़ानों/यात्रियों को हैंडल करने हेतु आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध होनी चाहिए तथा सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों, जिनमें अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के चालक दल के सदस्य भी शामिल हैं, को आप्रवासन प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा।

(i) उपर्युक्त शर्तों का उल्लेख केरल सरकार द्वारा निविदा दस्तावेजों में किया जाएगा।

2. उपर्युक्त उल्लिखित अनुज्ञप्ति संबंधी शर्तों के अनुपालन को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अनुज्ञप्ति जारी करते समय सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, डीजीसीए यह भी सुनिश्चित करेगा कि संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के आवेदन पर विचार करते समय ऊपर उल्लिखित अन्य सभी शर्तों का भी अनुपालन किया गया है।

3. ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के संबंध में नीति तैयार की जा रही है। कण्णूर में प्रस्तावित परियोजना, उक्त नीति की घोषणा होने पर, उसका अनुपालन करेगी।

(अन्ना रॉय)
निदेशक
दूरभाष: 24658991

**सेवा में**,

श्री पी. जे. थॉमस,
मुख्य सचिव,
केरल सरकार, सचिवालय,
तिरुवनंतपुरम, केरल।

**प्रतिलिपि:**

1. श्री मधुकर गुप्ता, सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. श्री विजय सिंह, सचिव, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. सुश्री मीना गुप्ता, सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
4. डॉ. डी. सुब्बा राव, सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. श्री गजेंद्र हल्देया, उपाध्यक्ष के सलाहकार, योजना आयोग, नई दिल्ली।
6. श्री के. गोहाई, महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय, सफदरजंग हवाईअड्डे के समक्ष, नई दिल्ली।
7. डॉ. के. रामलिंगम, अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली।